



**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वारा।  
पत्रांक:- ३०४६ / १२-१ ,दिनांक, कोटद्वारा, १७/०४/२०१८, २०१८।**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
इन्डिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

जनपद पोडी गढवाल में जंपिन एडवेचर्स प्राइवेट लिंग के पक्ष में 0.157 हैं वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-  
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त प्रकरण में पार्थी गई कमियों के निराकरण कर सूचना बिन्दुवार निम्नवत् प्रेषित है :-

- 1- पूर्व स्वीकृत पौँच वर्षीय लीज का पट्टा-विलेख 16 अगस्त 2010 को बनाया गया था, जिसके अनुसार पौँच वर्ष 15 अगस्त 2015 को पूर्ण हो गये थे तथा संस्था द्वारा लीज नवीनीकरण प्रस्ताव अप्रैल 2015 को प्रेषित किया गया था। तदउपरान्त ज्ञात हुआ कि लीज शासनादेश निर्गत होने कि तिथि से पौँच वर्षों तक दी गई थी। अतः प्रस्तावक विभाग द्वारा भूलवश हुई त्रुटि के लिये क्षमा प्रार्थ है।
- 2- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
- 3- पूर्व में जमा किये गये लीज रेन्ट की सूचना संलग्न है।
- 4- लीज प्रस्ताव मात्र 0.157 हैं वन भूमि का है, अतः अवनत वन क्षेत्र वृक्षारोपण लागू नहीं होना प्रतीत होता है।
- 5- भू-वैज्ञानिक की आख्या संलग्न है।
- 6- प्रस्ताव लीज नवीनीकरण होने से बांधित सूचना का लागू नहीं होना प्रतीत होता है।
- 7- N.P.V का आंकलन संलग्न है।
- 8- प्रस्ताव की मूल प्रति पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
- 9- परियोजना में रिक्त पड़े स्थानों की 10 वर्षीय वृक्षारोपण(दण्डात्मक वृक्षारोपण हेतु 100 पौधों के रोपण का आंगणन) संलग्न है।
- 10- परियोजना में किसी प्रकार का नव निमाण नहीं होना बताया गया है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,  
लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वारा।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (नंतान:- ३०४६/१२-१)